वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

ब्रिक्स अंतर्बैंक सहयोग तंत्र के अंतर्गत एक्जिम बैंक द्वारा (i) अंतर्बैंक स्थानीय करेन्सी ऋण व्यवस्था समझौता और (ii) क्रेडिट रेटिंग से संबंधित सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के संबंध में मंत्रिमंडल टिप्पणी पर प्रेस ब्रीफ।

निर्णय की तारीख: 27.09.2017

निर्णय: मंत्रिमंडल ने आज ब्रिक्स अंतर्बैंक सहयोग तंत्र के अंतर्गत सहभागी सदस्य बैंकों के साथ भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) द्वारा (i) अंतर्बैंक स्थानीय करेन्सी ऋण व्यवस्था समझौता और (ii) क्रेडिट रेटिंग से संबंधित सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। चूंकि ये दोनों व्यापक समझौते/एमओयू गैर-बाध्यकारी स्वरूप के हैं, इसलिए एक्जिम बैंक के निदेशक मंडल को इन समग्र समझौते/एमओयू के अंतर्गत अलग-अलग संविदाओं/प्रतिबद्धताओं के लिए बातचीत करने और इन्हें तय करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है।

2. पृष्ठभूमि

2.1 एक्जिम बैंक भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए वित्त उपलब्ध कराता है, इसे सुकर बनाता है और इसका संवर्द्धन करता है। यह व्यापार चक्र के विभिन्न चरणों में प्रतिस्पर्धात्मक वित्त उपलब्ध कराता है, जिनमें प्रौद्योगिकी का आयात, निर्यात उत्पाद विकास, लदान पूर्व तथा लदानोत्तर चरणों में निर्यात उत्पाद तथा निर्यात ऋण और विदेशों में निवेश शामिल हैं।

2.2 अंतर्बैंक स्थानीय करेन्सी ऋण व्यवस्था समझौता - ब्रिक्स अंतर्बैंक सहयोग तंत्र के अंतर्गत स्थानीय करेन्सी में ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में प्रारंभिक मास्टर समझौते की वैधता 5 वर्ष की थी, जिसकी अवधि मार्च, 2017 को समाप्त हो गयी है। यह माना गया कि कुछ सदस्य बैंकों (जैसे, सीडीबी और वीईबी; सीडीबी और बीएनडीईएस) ने वर्ष 2012 में हस्ताक्षर किए गए मास्टर समझौते के अंतर्गत स्थानीय करेन्सी वित्तपोषण के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जैसा कि व्यवहार में वर्तमान परिस्थितियां प्रयोग के लिए हितकर नहीं हैं, यदि भविष्य में कोई उपयुक्त अवसर उपलब्ध हो तो इसे समर्थकारी व्यवस्था के रूप में प्रयोग में रखना उपयोगी होगा। एक्जिम बैंक विदेशी बाजार में विभिन्न मुद्राओं में संसाधन एकत्र करता है और जोखिम के उपशमन के लिए विनिमय करता है। व्यापक समझौता राष्ट्रीय कानूनों, विनियमों और हस्ताक्षर करने वालों की आंतरिक नीतियों के अध्यधीन सदस्य बैंकों के साथ द्विपक्षीय समझौते करने के लिए सुविधाकारक के रूप में कार्य करेगा।

2.3 क्रेडिट रेटिंग से संबंधित सहयोग ज्ञापन - अन्य बैंक से प्राप्त अनुरोध के आधार पर ब्रिक्स सदस्य बैंकों के बीच क्रेडिट रेटिंग साझा करना संभव होगा। यह सीमा पार वित्तपोषण से संबद्ध

ऋण जोखिमों के उपशमन के लिए एक आदर्श तंत्र होगा। भविष्य में ऐसा तंत्र ब्रिक्स देशों के द्वारा वैकल्पिक रेटिंग एजेन्सी के प्रस्ताव के लिए पूर्व-संकेतक के रूप में भी कार्य कर सकता है।

2.4 4 सितम्बर, 2017 को जियामेन, चीन में ब्रिक्स नेताओं द्वारा की गई जियामेन घोषणा में भी इन दो समझौते/एमओयू का उल्लेख किया गया है।

कार्यान्वयन कार्यनीति और लक्ष्य

3.1 समझौते पर हस्ताक्षर से एक्जिम बैंक को सीडीबी, वीईबी और बीएमडीईएस जैसी बड़ी विकास वित्त संस्थाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थान प्राप्त होगा। उपयुक्त समय पर एक्जिम बैंक इस व्यापक समझौते का लाभ उठाकर अपने कारोबार हेतु संसाधन जुटाने के लिए इन सदस्य संस्थाओं में से किसी से भी द्विपक्षीय समझौता कर सकेगा। वाणिज्यिक संदर्भ में सह-निधियन के लिए अवसर उत्पन्न होने पर किसी भी दो सदस्य संस्थाओं (अर्थात् भारत और दक्षिण अफ्रिका) द्वारा एकल मुद्रा में ऋण प्रदान करना भी संभव होगा।

मुख्य प्रभाव

4 इस प्रस्ताव से साझा हित के क्षेत्र के अंतर्गत बहुपक्षीय कारोबार को बढ़ावा मिलेगा जिससे ब्रिक्स देशों के राजनैतिक/आर्थिक संबंध प्रगाढ़ होंगे।

शामिल व्यय

5. प्रस्तावित समझौते पर हस्ताक्षर करने में कोई व्यय शामिल नहीं है।

6. लाभार्थियों की संख्या

क) वाणिज्य विभाग

ख) विदेश मंत्रालय

ग) एक्जिम बैंक